



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227452
CG-DL-E-10062021-227452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2062]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2062]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2222(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH753F के कि.मी. 31.4 से कि.मी. 69 (उपविभागीय कार्यालय आणि दंडाधिकारी मावळ मुळशी उपविभाग पुणे कार्यालय क्र. २११ मजला नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोरील. कौन्सिल हॉल) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी पुणे को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH753F के कि.मी. 31.4 से कि.मी. 69 (उपविभागीय कार्यालय आणि दंडाधिकारी मावळ मुळशी उपविभाग पुणे कार्यालय क्र. २११ मजला नवीन प्रशासकीय इमारतीसमोरील. कौन्सिल हॉल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: पुणे			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: मुळशी					
गांव का नाम: माले					
1	170	निजी	वेट	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
2	498	निजी	वेट	0.0450000(हेक्टेयर)	0.0450000
3	499	निजी	वेट	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
गांव का नाम: मुळशी खुर्द					
1	114	निजी	ड्राई	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
2	37/Dhangole/1	निजी	वेट	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
गांव का नाम: वारक					
1	169A	निजी	ड्राई	0.0730000(हेक्टेयर)	0.0730000
2	169B	सरकारी	ड्राई	0.0690000(हेक्टेयर)	0.0690000
3	171	निजी	ड्राई	0.0700000(हेक्टेयर)	0.0700000
4	172	निजी	ड्राई	0.0650000(हेक्टेयर)	0.0650000
कुल				0.4870	0.4870

[फा. सं. NH-753F-MAH-2017-18-1235/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2222(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH753F in the stretch of land from Km. 31.4 to Km. 69 (Sub Divisional Officer & Magistrate Maval Mulshi Sub-Division Pune Office No.211 2nd floor New Administrative Building Opp. Council Hall Pune-1) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Pune in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH753F in the stretch of land from Km. 31.4 to Km. 69 (Sub-Divisional Officer & Magistrate Maval Mulshi Sub Division Pune Office No. 211 2nd floor New Administrative Building Opp. Council Hall Pune-1) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA		District: PUNE			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Mulshi					
Village: Maale					
1	170	Private	Wet	0.0400000(Hectare)	0.0400000
2	498	Private	Wet	0.0450000(Hectare)	0.0450000
3	499	Private	Wet	0.0500000(Hectare)	0.0500000
Village: Mulshi Kh.					
1	114	Private	Dry	0.0400000(Hectare)	0.0400000
2	37/Dhangole/1	Private	Wet	0.0350000(Hectare)	0.0350000
Village: Warak					
1	169A	Private	Dry	0.0730000(Hectare)	0.0730000
2	169B	Government	Dry	0.0690000(Hectare)	0.0690000

3	171	Private	Dry	0.0700000(Hectare)	0.0700000
4	172	Private	Dry	0.0650000(Hectare)	0.0650000
Total				0.4870	0.4870

[F. No. NH-753F-MAH-2017-18-1235/3A]

RAJESH GUPTA, Director